

(5)

त्रिपुरा,

श्री ग्रन्थोदय गाँगुली,
 उप तहिं
 उत्तर प्रदेश राजन.

तिवा ३,

मार्गदर्शक,
 लैन्टीपैप शास्त्रविद्यि शिखा परिषद्
 शिखा केन्द्र २ समुदाय केन्द्र
 पुस्तक विकार वह दिल्ली ।

भाषा १७१ अनुवाद

लेखक: दिनांक: १९ नवम्बर, 1993

मिथ्या:- यहाँ शिखों का इतिहास एवं शिख वासेज शुद्धि द्वारा वापाद को लौँगी० ८००
 ५० नहीं है विश्वास है तथा विश्वास है अनावश्यक शुद्धि वासेज के
 सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त लिखक पर यही वह लड़ने का विदेश द्वारा है कि श्रीन. शिखों
 द्वारा लौँगी० ८०० शुद्धि द्वारा वापाद को लौँगी० ८०० नहीं दिल्ली है तथा विश्वास
 द्वारा शिख वासेज में उन राज्य सरकार को विश्वासित शुद्धिवापादों के अधीन
 आपसिंह नहीं है :-

- १- विद्यालय की देवोदृष्टि लौँगी० ८०० का तम्भ तम्भ पर नवीनीकरण
 करारा जायेगा ।
- २- विद्यालय की शुद्धिवापादों के लिए विद्यालय द्वारा वापाद के
 तदर्थ द्वारा ।
- ३- विद्यालय में कब ते व्या व्या शुद्धिवाल तथा अनुशूलिता ति/अनुशूलित
 जनजाति के दर्शकों के लिए दुर्भिति रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
 शास्त्रविद्यि शिखा परिषद् द्वारा लौँगी विद्यालयों में विभिन्न
 विद्यालयों द्वारा विद्यार्थित शुल्क के अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४- लौँगी द्वारा राज्य सरकार ने दिल्ली अनुद्देश्य विद्यालय की
 जायेगी और यह पर्दि दूर्दि में विद्यालय शास्त्रविद्यि शिखा परिषद् ने/
 लौँगी विद्या परिषद् ने मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
 विद्या लैन्टीपैप शास्त्रविद्यि शिखा परिषद्/लौँगी विद्या परिषद् ने/
 लौँगी विद्यालय की विद्यालय विद्यालय नहीं दिल्ली से द्रुतगति होती है तो ३५
 दिल्ली विद्यालयों से सम्भवता प्राप्त होने का तिथि विद्या परिषद् ने
 मान्यता लेया राज्य सरकार ने अनुद्देश्य विद्यालय की जायेगी ।
- ५- लौँगी विद्यालय विद्यालयों को राज्यविद्या लेयालय प्राप्त
 विद्यालय लौँगी के कर्मचारियों को अनुकूल लेयालय विद्यालयों तथा अन्य
 भूमियों के लिए लेयालय लौँगी भूमि भूमि नहीं दिये जायेंगे ।
- ६- कर्मचारियों के लिए जीवी ज्ञानीयों और उन्हें तदाकरा प्राप्त

अग्रालंगों उच्चतर नार्थविल विद्युतालयों के कर्मचारियों की अनुमति देवा
निकृति इ लान उपलब्ध कराए जाएगी ।

17। राज्य सरकार द्वारा तभ्य तमस पर जो भी आदेश निर्भी किये जाएंगे, तेस्या
उनका पालन होएगा ।

18। विद्युतालय का रिकार्ड निधारित प्रदेश/संचारग्राम में रखा जाएगा ।

19। उक्त संसों में राज्य सरकार के पूर्वानुग्रहन के बिना कोई परिवर्तन/प्राप्ति या
परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

2- उत्तिष्ठन्ध यह भी है कि विद्युतालय में शिक्षकों और कर्मचारियों को अंगठ
न्यूज़तम बजूरों अधिनियम के कानूनी तौर पर जाएगा ।

3- उक्त उत्तिष्ठन्धों का पालन भरता होया के लिए अनियार्थ होगा और
इटि नियम तभ्य यह लाभ जाता है कि तेस्या द्वारा उक्त उत्तिष्ठन्धों का पालन
नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में लिंगी उठार ली गूढ़ या गिरिहा
बरता जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामति प्रयाण पत्र वापस में
निया जाएगा ।

मवदीय,

अंगठी गाँगड़ी ।
उप सचिव ।

पुस्तक ५४७। ११/१५-७-१९९३ गटलोड

प्रांतिक निम्न नियम दो गूड़नार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु देवित:-

1- शिक्षा निकेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- मण्डलीय उप शिक्षा निकेश, मुरादाबाद ।

3- जिला विद्युतालय नियोधल, मुरादाबाद ।

4- नियोधल, गाँगड़ भारतीय विद्युतालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- पुस्तक, ब्रीन गोडोप द्वूत, पुस्तक उप शिक्षा गटा विद्युतालय मुरादाबाद ।

आशा है,

अंगठी गाँगड़ी ।
उप सचिव ।